कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713551

फैक्स न0 (0135) -2713724,

संख्या– 590 /xxv– 12(9)/2018 देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2020

सेवा में,

श्री सैययद बासित अली,
52/2 मोरी पाडा कोतवाली,
मेरठ, उ0प्र0

विषय– लोक सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–4/आर0टी0आई0/1/2020 (स्थापना–1) दिनांक 24.07.2020 के साथ आपका अनुरोध पत्र दिंनाक 18.06.2020 इस कार्यालय में दिनांक 30.07.2020 को प्राप्त हुआ है के संख्या–4 से सम्बन्धित सूचना 7 पृष्ठो में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,
संलग्नक- यथोपरि.

भवदीय,
B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
लोक सूचना अधिकारी एंव
अनुभाग अधिकारी।

पृ0संख्या 590 /xxv– 12(9)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि– केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एंव अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग को उक्त पत्र के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
लोक सूचना अधिकारी एंव
अनुभाग अधिकारी।

0C

प्राप्त-30/7/20

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़,
नई दिल्ली-110 001.
दिनांक : 24.07.2020

सं. 4/आर.टी.आई./1/2020(स्थापना-1)

सेवा में,

श्री सैययद बासित अली,
52/2 मोरी पाडा कोतवाली,
मेरठ, उ.प्र.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपने पत्र दिनांक 18.06.2020 जोकि निर्वाचन आयोग को दिनांक 29.06.2020 को प्राप्त हुआ था का सन्दर्भ लें । इस सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना प्रस्तुत है :-

मद 1 - आपको यह सूचित किया जाता है कि मांगी गयी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दिए गये PROACTIVE DISCLOSURE के खण्ड(1) में उपलब्ध है जिसका लिंक है:- https://rti.eci.nic.in/public/download/reports/RTI22012020

मद 2-3 - आपको यह सूचित किया जाता है कि राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में पदों का सृजन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

मद 4 - आपको यह सूचित किया जाता है कि इस मद में मांगी गयी सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड एवं उत्तरप्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों से संबंधित है अतः इस मद की सूचना के लिए आवेदन को संबंधित कार्यालयों को भेजा जा रहा है।

मद 5 - इस संबध में आवेदक को सूचित किया जा सकता है कि इस मद के अंतर्गत आवेदक ने जन सूचना अधिकारी से काल्पनिक विषय पर राय/सलाह/कारण पूछा है जो सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) मे दी गई सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है तथा किसी मूर्त रूप में उपलब्ध नही है।

यदि आप अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप आयोग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। आयोग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से संबंधित ब्यौरा निम्नवत है।

श्री के.एन. भार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

भवदीय.

(कप्तान चन्द)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव

प्रतिलिपि:

1. **लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्त्राखण्ड-देहरादून 248001 / लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्त्रप्रदेश-विकास भवन, हजरतगंज, लखनऊ-226001**- आपको यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदन की मद 4 में मांगी गयी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्त्राखण्ड एवं उत्त्रप्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों से संबंधित है अतः आरटीआई सेक्शन 6(3) के अंतर्गत इस मद की सूचना के लिए आवेदन को आपको स्थानांतरित किया जांता है। आपसे यह निवेदन है कि इस मद में मांगी गयी सूचना की जानकारी सीधे आवेदक को उपलब्ध करा दी जाए तथा जवाब की प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी भेजी जाए।

289/RTI/20
02/07/2020 RJ
D.No: 820/A3
03/07/2020

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र।

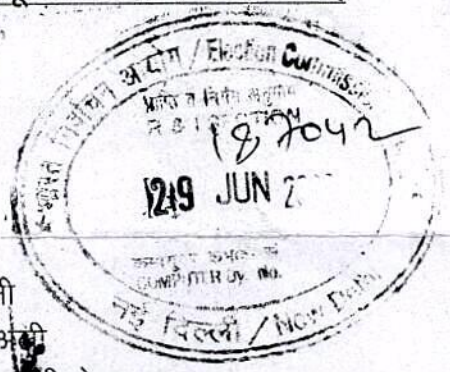

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चुनाव आयुक्त,भारत
निर्वाचन सदन,10 अशोका मार्ग,नई दिल्ली।

1. आवेदक का नाम :– श्री सैययद बासित अली
2. पिता का नाम :– स्व0 सैययद सलामत अली
3. पता :– 52/2 मोरी पाडा कोतवाली मेरठ
4. दूरभाष संख्या/ मोबाईल नम्बरः– 8476886953
5. मांगी गयी सूचनाओं का ब्यौराः–

श्रीमान जी प्रार्थी को जनसूचना अधिकार 2005 के अर्न्तगत सम्पूर्ण भारत के निर्वाचन विभाग(लोक सभा/विधानसभा) से सम्बन्धित निम्न सूचनायें चाहिएः–

1. राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय भारत निर्वाचन आयोग के अधीन आते है अथवा संबंधित राज्य सरकारों के अधीन आते है।
2. उक्त कार्यालयों में पदों का सर्जन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा।
3. यदि भारत निर्वाचन आयोग के अधीन आते है तो विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में स्वीकृत अधिकारी/ कर्मचारियों के पदनाम
4. उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य निर्वाचनं अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालयों एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालयों में कौन–कौन से पद सर्जित है।
5. भारत निर्वाचन आयोग के अधीन होते हुए भी दोनो राज्यों के उक्त कार्यालयों में सर्जित पदों में भिन्नता का कारण।
6. जमा की गई फीस का ब्यौराः– 48F.146753 पोस्टल आर्डर

US(KC) 8/7
Estl. Sec-
is Kalitee
Sh. Rawanji
03/07/2020

स्थानः– मेरठ
दिनांकः–18.06.2020

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

(1)

संख्या– 107 / XXV - 107 - 2 (1) / 2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

निर्वाचन अनुभाग देहरादून, दिनाँक, 23 जनवरी, 2016

विषयः– निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के विभागीय ढाँचे के पुनर्गठन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–154/State Structure/ 2013-EPS/401 दिनांक 04 मार्च, 2014, सम संख्यांक और दिनांकित दो पत्र तथा पत्र संख्या–154/ State Structure / 2013 दिनांक 10 जनवरी, 2014 में जारी निर्देशों के अनुसरण में शासनादेश संख्या–2267 (1)/निर्वाचन/2001 दिनांक 11 जुलाई, 2001, कार्यालय ज्ञाप संख्या–5597 ए/सीईओ–1–51/1–97 दिनांक 30 अप्रैल, 1998, शासनादेश संख्या–9279/17–ए–62/1–97 दिनांक 12 दिसम्बर, 1997, शासनादेश संख्या–9281/17–ए–1–60/1–97 दिनांक 12 दिसम्बर, 1997, शासनादेश संख्या–11158/17–ए–1–70/1–97 दिनांक 12 दिसम्बर, 1997, शासनादेश संख्या–2634/17–ए–1–342/1–95 दिनांक 27 फरवरी, 1996 अधिसूचना–प्रकीर्ण संख्या–11512/17–ए–1–239–1–91 दिनांक 15 नवम्बर, 1995 के परिशिष्ट–2 के द्वारा पुनर्गठित निर्वाचन विभाग के विभागीय ढाँचे को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रकार निर्वाचन विभाग के विभागीय ढाँचे के पुनर्गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क–मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हेतुः–

क्रं0 सं0	पदों का विवरण	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी (भारतीय प्र0 सेवा)	01	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	पदेन
2.	अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (भा. प्रशासनिक सेवा)	01	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	पदेन

--2

3.	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (भा. प्रशासनिक सेवा)	01	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	पदेन
4..	विशेष कार्याधिकारी / SVEEP Expert	01	(30,000 - 50,000 Fix)	Out Source/Deputation
5.	उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पी.सी.एस. / निर्वाचन सेवा संवर्ग)	01	वेतनमान–37400–67000 +8700)	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पदोन्नति / पीसीएस
6.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (निर्वाचन सेवा संवर्ग)	01	वेतनमान–15600 –39100+6600)	अनुभाग अधिकारी से पदोन्नति द्वारा
7.	अनुभाग अधिकारी (निर्वाचन सेवा संवर्ग)	02	वेतनमान–15600 –39100+5400	समीक्षा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा
8.	समीक्षा अधिकारी (निर्वाचन सेवा संवर्ग)	04	वेतनमान–9300–34800+4800)	सहायक समीक्षा अधिकारी से पदोन्नति द्वारा
9.	सहायक समीक्षा अधिकारी	06	वेतनमान–9300–34800+4600)	50% पदोन्नति / 50% लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती द्वारा
10.	निजी सचिव	02	वेतनमान–15600 –39100+ 5400)	वैयक्तिक सहायक / अपर निजी सचिव से पदोन्नति द्वारा
11.	वैयक्तिक सहायक / अपर निजी सचिव	03	वेतनमान–9300–34800 + 4200)	सीधी भर्ती द्वारा
12.	कनिष्ठ सहायक / कम कम्प्यूटर आपरेटर	02	वेतनमान–5200–20200 + 2000)	सीधी भर्ती / अनुसेवक से पदोन्नति द्वारा।
13.	सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर / डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (I.T./ MIS Specialist)	02	(50,000 - 1,00,000 Fix)	वाह्य स्रोत से (Out Source)
14.	प्रोग्रामर / सहायक प्रोग्रामर (1–1)	02	(30,000 - 50,000 Fix)	वाह्य स्रोत से (Out Source)
15.	वित्त नियंत्रक	01	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त प्रभार
16.	अनुवादक (हिन्दी / अंग्रेजी)	01	(वेतन अनुसार–नियत)	वाह्य स्रोत से (Out Source)
17.	वाहन चालक	04	वेतनमान–5200–20200 + 2000)	वर्तमान में स्वीकृत तीन नियमित पदों के अतिरिक्त एक पद वाह्य स्रोत से (Out Source)

--3

18.	अनुसेवक / चौकीदार	07	वेतनमान–5200–20200 + 1800)	वर्तमान में स्वीकृत / कार्यरत नियमित पदों के अतिरिक्त दो पद वाह्य स्रोत से (Out Source)
19.	सफाई का कार्य	सफाई का कार्य वाह्य स्रोत से संविदा पर		
	कुल योग–	42		

ख –जिला निर्वाचन कार्यालयों हेतुः–

क्रं0 सं0	पदों का विवरण	कुल स्वीकृत पद	वेतनमान	अभ्युक्ति
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी (पदेन जिलाधिकारी)	13	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	पदेन
2..	अपर जिला निर्वाचन अधिकारी	13	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	पदेन
3.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी	13	अपने संवर्ग के वेतन अनुसार	पदेन
4.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी(निर्वाचन सेवा संवर्ग) (राजपत्रित समूह–ख)	13	वेतनमान–15600 –39100+5400)	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से पदोन्नति द्वारा
5.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित)	05	वेतनमान–9300–34800+4800)	जनपद देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार के लिए एक–एक पद (प्रशासनिक अधिकारी से पदोन्नति द्वारा)
6.	प्रशासनिक अधिकारी	13	वेतनमान–9300–34800 + 4600)	प्रत्येक जनपद के लिए एक पद (प्रधान सहायक से पदोन्नति द्वारा)
7.	प्रधान सहायक	18	वेतनमान–9300–34800 + 4200)	जनपद देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार के लिए दो–दो पद तथा शेष जनपदों के लिए एक–एक पद (वरिष्ठ सहायक से पदोन्नति द्वारा)
8.	वरिष्ठ सहायक (पूर्व पदनाम प्रवर सहायक)	29	वेतनमान–9300–34800 + 2800)	जनपद टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर के लिए तीन–तीन, जनपद उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल के लिए दो–दो तथा जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत के लिए एक–एक पद (कनिष्ठ सहायक से पदोन्नति द्वारा)

9.	कनिष्ठ सहायक	44	वेतनमान–5200–20200 + 2000)	जनपद टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर के लिए चार–चार, उत्तरकाशी, चमोली के लिए तीन–तीन एवं रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत के लिए एक–एक पद (सीधी भर्ती/अनुसेवक से पदोन्नति द्वारा)
10.	अनुसेवक/चौकीदार	39	वेतनमान–5200–20200 + 1800)	प्रत्येक जनपद के लिए तीन पद वर्तमान में कार्यरत नियमित कार्मिकों के अतिरिक्त नव सृजित 20 पद वाह्य स्रोत (Out Source)
11.	वाहन चालक	13	नियत पारिश्रमिक/वेतन के आधार पर	वाह्य स्रोत से (Out Source)
12.	सहायक प्रोग्रामर	13	नियत पारिश्रमिक/वेतन के आधार पर	वाह्य स्रोत से (Out Source)
13.	सफाई का कार्य	वाह्य स्रोत से संविदा पर		
	कुल योग–	226		

ग –निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/रिटर्निगं आफिसर (ERO/RO) कार्यालय हेतुः–

क्रं0 सं0	पदों का विवरण	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1.	वरिष्ठ सहायक	70	नियत पारिश्रमिक/वेतन के आधार पर	वाह्य स्रोत से (Out Source)

घ –सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रिटर्निगं आफिसर (AERO/ARO) तहसील कार्यालयों हेतुः–

क्रं0 सं0	पदों का विवरण	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1.	कनिष्ठ सहायक कम डाटा इण्ट्री आपरेटर	100	नियत पारिश्रमिक/वेतन के आधार पर	वाह्य स्रोत से (Out Source)
महायोग–		438		

2– उपरोक्त खण्ड–ख के क्रम संख्या–5, 6, 7एवं 8 पर अंकित पदों पर कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–153/XXX(2)/2015-3(2)2010 दिनांक 09 अप्रैल, 2015 के साथ पठित सम संख्यांक अधिसूचना प्रकीर्ण दिनांक 09 अप्रैल, 2015 ***उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015*** में निहित प्राविधानों के अनुसरण में संबंधित पदों पर कार्मिक पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–05, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन आयोजनेत्तर, 103–निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण, 05–निर्वाचन अधिष्ठान व्यय की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4– उक्त शासनादेश तत्काल प्रभावी होगा। उक्तानुसार सुसंगत सेवानियमावली में यथा समय संशोधन कर लिए जायेंगे।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 88/XXVII (7) / 2015 दिनांक 19 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 107 / XXV - 107 - 2 (1) / 2007 तद् दिनाँकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़ नई दिल्ली।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
6– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
7– महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड़ देहरादून।
8– निदेशक, कोषागार, पेंशन और हकदारी लक्ष्मीरोड़ डालनवाला देहरादून, उत्तराखण्ड।
9– समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मीरोड़ डालनवाला, देहरादून।
11– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12– अपर निदेशक, राजकीय फोटोलिथो प्रेस रूड़की को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ एवं तदनुसार प्रकाशित गजट की 100 प्रतियाँ शीघ्र उपलब्ध कराए जाने हेतु।
13– वित्त अनुभाग– 5 एवं 7 उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से–

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2125/XXV–20/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
   उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

निर्वाचन अनुभाग देहरादून, दिनांक 20 जुलाई, 2017.

विषयः– निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला निर्वाचन कार्यालयों में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के शांसनादेश संख्या–107/XXV–107–2(1)/2007 दिनांक 23 जनवरी, 2016 के फ़लस्वरूप निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के स्वीकृत कुल 109 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान स्थापित स्टाफिगं पैटर्न को उत्तराखण्ड शासन कार्मिक विभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–90/XXX(2)/2015 दि0 26 जुलाई .2016 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के फलस्वरूप विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों में स्वीकृत 109 पदों का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न प्रतिशत के आधार पर निम्न तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित वेतन वेतनबैण्ड व स्तम्भ–4 वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन लेवल के अनुसार विभागीय संरचना का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता हैः–

क0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड वेतन के आधार पर (सातवें वेतन यथा पुनरीक्षित)	ग्रेड वेतन	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न स्वीकृत पदों की संख्या	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न	
					प्रतिशत	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	44	32 %	46
2	वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	29	28 %	26
3	प्रधान सहायक	9300–34800	4200	18	18 %	13
4	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4600	13	8 %	10
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4800	5	8 %	09
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600-39100	5400	0	6 %	05
कुल योग				109		109

उक्तानुसार अब विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों में पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	जनपद का नाम	पदों का विवरण						
		कनिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक	प्रधान सहायक	प्रशासनिक अधिकारी	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	कुल पदों का योग
1	देहरादून	4	2	1	1	1	1	10
2	हरिद्वार	4	2	1	1	0	1	09
3	उधमसिंहनगर	4	2	1	1	0	1	09
4	पौड़ी	4	2	1	1	0	1	09
5	अल्मोड़ा	4	2	1	1	0	1	09
6	उत्तरकाशी	3	2	1	1	1	0	08
7	चमोली	3	2	1	1	1	0	08
8	रूद्रप्रयाग	3	2	1	0	1	0	07
9	टिहरी गढ़वाल	4	2	1	1	1	0	09
10	पिथौरागढ़	3	2	1	1	1	0	08
11	बागेश्वर	3	2	1	0	1	0	07
12	चम्पावत	3	2	1	0	1	0	07
13	नैनीताल	4	2	1	1	1	0	09
कुल योग:-		46	26	13	10	9	5	109

मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में विभागीय ढांचे का यदि भविष्य में संशोधन होता है, तो तदनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जायेगा। उक्त विषयक शासनादेश संख्या-107 दिनांक 23 जनवरी, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। यह शासनादेश तत्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या 2125 / XXV-20/20117, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन अशोक रोड़ नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
7. महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड़ देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन और हकदारी लक्ष्मीरोड़ डालनवाला देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।